

# भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल (गढ़वाल)



## प्रवेश निर्देशिका



Telephone/Fax : 01386-276641  
e-mail: principal\_lansdowne@rediffmail.com  
website : www.bdgpgc.in

## अनुक्रमणिका

1.	परिचय.....	3
2.	प्रवेशार्थी निर्देशिका .....	3
3.	दूरस्थ शिक्षा .....	10
4.	अनुशासन.....	10
5.	अन्य सुविधाएँ.....	11
6.	शिक्षणोत्तर एवं पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप .....	14
7.	प्रवेश प्रक्रिया .....	15
8.	वार्षिक शुल्क .....	19
9.	महाविद्यालय परिवार .....	20
10.	रैगिंग सम्बन्धी शपथ-पत्रों के प्रारूप .....	22

## संदेश



भारतीय मनीषि परंपरा में विद्या को विमुक्तिदायिनी, ज्ञानदायिनी (या विद्या सा विमुक्तये, या विद्या च ज्ञानप्रदा) तथा ज्ञान को पवित्रतम साधन तथा साध्य बताया गया है। (न ही ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रमपि विद्यते)। उपनिषद् में गुरु-शिष्य संबंधों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि 'ऽन्तेवासिनम ऽनुशास्ती अर्थात् शिष्य गुरु के हृदय में निवास करता है तथा गुरु अपने शिष्यों को 'ज्ञानवृद्ध भव' का आशीष प्रदान करता है। सरस्वती को ज्ञान, विद्या, वाणी तथा मेघा की देवी के रूप में हिन्दू देवमंडल में अधिष्ठित किया गया है। यह भारतीय सारस्वत परंपरा की अमूल्य देन है कि विद्वानों को सर्वत्र पूजनीय बताया गया है तथा राजसत्ता भी ज्ञान वैभव की अनुगामिनी रही है।

पाश्चात्य जीवन दर्शन तो ज्ञान को शक्ति तथा शौर्य का प्रतीक मान बैठा और पुनर्जागरण काल, प्रबोधन काल, वैज्ञानिक क्रांति औद्योगिक क्रांति के द्वारा पश्चिमी जगत ने सम्पूर्ण ब्रह्मांड की बैदुष्य परंपरा पर अधिकार स्थापित कर लिया।

उच्च शिक्षा के मुख्यतः तीन बुनियादी तथा मौलिक उद्देश्य हैं - (1) ज्ञान का सृजन (2) सृजित ज्ञान का समाज, राष्ट्र तथा भावी पीढ़ियों के निर्माण में योगदान (3) चरित्र निर्माण के द्वारा एक आदर्श नागरिक का निर्माण। मूलतः महाविद्यालय अध्ययन, अध्यापन तथा शोध की अकादमिक गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों में अन्तर्निहित क्षमता तथा मेघा का समुचित तथा अधिकतम उपयोग का अवसर प्रदान करता है। सच्चे अर्थों में यह व्यक्तित्व निर्माण की पौधशाला है। हमारा महाविद्यालय पर्वतीय प्रदेश के पिछड़े ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान कर उनके जीवन को नयी दिशा देने हेतु संकल्पित है।

21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों से निबटने के लिए भारत को 'ज्ञान महाशक्ति' (Knowledge Superpower) के रूप में उभरना होगा। इसके लिए हमारे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की नवीन प्रविधियों, शैलियों तथा तकनीक से अवगत होना होगा। इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने पूर्व में विभिन्न क्षेत्रों - राजनीति, प्रशासन, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन इत्यादि में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है तथा महाविद्यालय को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी इस महाविद्यालय के छात्र रहे हैं।

आए, हम सभी मिलकर इस ज्ञान यज्ञ में आहुति प्रदान करें तथा भारत को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में शिखर तक पहुँचाने में अपना उच्चतम योगदान दे। चुनौतियाँ अधिक हैं, किन्तु प्रतिकूल परिदृश्य में युवा भारत के युवाओं को अपने प्रतिभा, योग्यता एवं क्षमता का अधिकतम प्रदर्शन करना है और 21वीं सदी के भारत के सपनों को पूरा करना है।

प्राचार्य

"तू थक के न बैठ, कि तेरी उड़ान बाकी है।  
जमीं तो खत्म हुई, अभी आसमां बाकी है।।"

## परिचय

“शिक्षा से ही व्यक्ति की आध्यात्मिक एवं भौतिक प्रगति तथा समाज का अभ्युदय हो सकता है” की सोच एवं इस “ग्रामीण-पर्वतीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रसार” के संकल्प के साथ प्रदेश शासन द्वारा 17 अगस्त 1972 को राजकीय महाविद्यालय जयहरीखाल की स्थापना हुई। प्रारम्भ में इसका संचालन जयहरीखाल में स्थित राजकीय इण्टर कालेज के परिसर में होता रहा। मई 2004 में इस महाविद्यालय को जयहरीखाल से स्यालगॉव में यहाँ की जनता के द्वारा दान की गयी 3.581 हेक्टेयर (178.75 नाली) भूमि पर निर्मित अपने भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया। 1972 से प्रारम्भ की गई अहर्निश यात्रा में महाविद्यालय ने कई सोपान देखे हैं। वर्ष 1975 में इसे हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से अस्थायी तथा 01 अगस्त 1984 से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुई। महाविद्यालय को 19 सितम्बर 1983 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 2(एफ) एवं 12बी के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हुई। आरम्भिक वर्ष 1972 में मात्र विज्ञान संकाय के पाँच विषयों – वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं भौतिकी – में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हुआ। धीरे-धीरे संकायों एवं विषयों की संख्या बढ़ती गयी। वर्ष 1975 में अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी एवं संस्कृत विषयों के साथ कला संकाय की स्थापना की गयी, जिसमें वर्ष 1988 में इतिहास एवं राजनीति शास्त्र; तथा वर्ष 1989 में भूगोल विषय भी जुड़ गये। 1989 में वाणिज्य संकाय की भी स्थापना हुई। सत्र 2004-05 से महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों में अध्यापन प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्ष 2008 में शिक्षा संकाय की स्थापना की गयी तथा स्ववित्तपोषित बी.एड. का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा वर्ष 2016 में ‘B’ ग्रेड प्रदान किया गया है।

## प्रवेशार्थी निर्देशिका 2019-20

### स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर के प्रवेशार्थियों हेतु-

उत्तराखण्ड शासन के आदेशानुसार सत्र 2018-2019 से महाविद्यालय को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर पद्धति से प्रवेश दिया जायेगा।

बी0एस0सी0 एवं बी0ए0 में प्रवेशार्थियों को तीन विषयों में प्रवेश लेना अनिवार्य है। बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशार्थी हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में से कोई दो विषय चुन सकता है

माननीय सुप्रीम के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। बी0ए0 के छात्र-छात्रायें प्रथम सेमेस्टर में तथा बी0एस0सी0, बी0कॉम0 के छात्र-छात्रायें द्वितीय सेमेस्टर में पर्यावरण विषय का अध्ययन अन्य तीन विषयों के साथ अनिवार्य रूप से करेंगे तथा उत्तीर्ण किया जाना भी अनिवार्य है।

### स्नातक स्तर में पंचम/षष्ठम् सेमेस्टर के प्रवेशार्थियों हेतु-

स्नातक स्तर में पंचम/षष्ठम् सेमेस्टर के प्रवेशार्थियों को हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा लागू रूचि आधारित क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

विश्वविद्यालय ने सन् 2012 में स्नातकोत्तर स्तर पर रूचि आधारित क्रेडिट पद्धति अपनायी। मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से दिनांक 14 नवम्बर 2014 एवं इसी अनुक्रम में अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 8 जनवरी के पत्रों में विश्वविद्यालयों में सी.बी.सी.एस. अपनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसी के अनुपालन में दिनांक 3 जनवरी को आयोजित विद्या परिषद की बैठक में स्नातकोत्तर तथा स्नातक स्तर पर सत्र 2016-17 से सी.बी.सी.एस. व्यवस्था से छात्र-छात्रायों को राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में ज्ञानार्जन का लाभ मिल सकेगा।

### रूचि आधारित क्रेडिट सिस्टम की रूपरेखा-

1. कोर कोर्स (डी.एस.सी.) कोर का आशय किसी ऐसे विषय अथवा प्रश्न पत्र से है जो कि छात्र को अनिवार्य रूप से कोर के रूप में अध्ययन करना होगा।

2. इलैक्टिव कोर्स— सामान्यतः इलैक्टिव कोर्स प्रश्न पत्र से आशय किसी ऐसे विषय अथवा प्रश्न पत्र से है जो कोर प्रश्न पत्रों के 'पूल' (समूह) से चयनित किया जा सकता है। तथा व्यापक उपयोगिता वाला हो। ये कोर्स तीन प्रकार के होंगे।

2.1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलैक्टिव कोर्स – छात्र द्वारा चयनित किया गया/गये किसी विषय का / के इलैक्टिव प्रश्न पत्र।

2.2 लघु शोध/परियोजना

2.3 सामान्य इलैक्टिव कोर्स (जी.ई.)— अन्य विषय/विषयों का/ के वह/ वे प्रश्न पत्र जो छात्र द्वारा कोर कोर्स के रूप में चयनित न किया गया हो। उदारणार्थ किसी छात्र द्वारा यदि प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर में समाजशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र को कोर कोर्स के रूप में चयनित किया गया है तो वह भूगोल के प्रश्न पत्र को पंचम तथा षष्ठम सेमेस्टर में इलैक्टिव प्रश्न-पत्र में चयनित कर सकता है।

3. एबिलिटी इनहांसमेन्ट कोर्स (ए.ई.सी.): यह कोर्स दो प्रकार के होंगे—

3.1 एबिलिटी इनहांसमेन्ट अनिवार्य कोर्स (ए.ई.सी.सी.)

1. पर्यावरण विज्ञान

2. अंग्रेजी/आधुनिक भारतीय भाषा सम्प्रेषण

ये सभी डिसिप्लिन के लिए अनिवार्य होंगे

3.2 स्किल इनहांसमेन्ट कोर्स (एस.ई.सी.): ये कोर्स, कोर्सों/प्रश्नपत्रों के पूल (समूह) से चयनित किये जायेंगे जो कि मूल्य अथवा दक्षता आधारित ज्ञान के लिए डिजाइन किये गये हैं।

### Choice Based Credit System:

1. **Core Courses (DSC):** A Course of a subject is the paper which should compulsorily be studied by a candidate as a core requirement.

2. **Elective Course:** Generally a course/paper which can be chosen from a pool of courses/papers which provide extended scope. These courses shall be of three type viz.:

**2.1 Discipline Specific Elective (DSE) Course:** Elective paper (S) of a subject taken by the student.

**2.2 Dissertation/Project**

**2.3 Generic Elective (GE) Course:** Elective paper (s) of other subject which is not taken by a student as core subject. For example a student having sociology and political science as core subjects in I, II, III and IV semesters can opt for an elective paper of geography in V semester and also in VI semester. These two papers of geography shall be called Generic Elective papers/ courses for that student.

3. **Ability Enhancement Courses (AEC):** These Courses shall be two types.

**3.1 Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC):**

1. Environmental science

2. English/Modern Indian Language communication.

**These are mandatory to all disciplines.**

**3.2 Skill Enhancement Course (SEC):** These courses may be chosen from a pool of courses/papers designed to provide value based and/or skill based knowledge.

## CBCS for B.Sc. Program

Semester	Skill Enhancement	Discipline Specific Elective DSE
V	Skill Enhancement Paper Subject-III	Subject I, Elective Paper-I Subject II, Elective Paper-I Subject III, Elective Paper-I
VI	Skill Enhancement Paper Subject-I/II/III	Subject I, Elective Paper-I Subject II, Elective Paper-I Subject III, Elective Paper-I

## CBCS for B.A Program

V	Skill Enhancement Paper Subject-I	Subject I, Elective Paper-I Subject II, Elective Paper-I	GE-I Paper-I
VI	Skill Enhancement Paper Subject-II	Subject I, Elective Paper-II Subject II, Elective Paper-II	GE-2 Paper-II

## For B. Com. Programme

The following scheme will be implemented for B.Com. Students:

B. Com. Sem. V	1	BC-501	Any One of the following a. Human Resource Management b. Principles of Marketing c. (i) Computerised Accounting System (ii) Practical	Discipline-Specific Elective (DSE)-1
	2	BC-502	Any One of the following a. Fundamentals of Financial Management b. Indirect Tax Law	Discipline-Specific Elective (DSE)-2
	3	BC-503	Principles of Micro Economics	Generic Elective (GE)-1
	4	BC-504	Entrepreneurship	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-3
B. Com. Sem. VI	1	BC-601	Any One of the following a. Corporate Tax Planning b. Banking and Insurance c. Fundamentals of Investment d. Auditing and Corporate Governance	Discipline-Specific Elective (DSE)-3
	2	BC-602	Any One of the following a. International Business b. Office Management and Secretarial Practice c. Consumer Protection	Discipline-Specific Elective (DSE)-4
	3	BC-603	Indian Economy	Generic Elective (GE)-2
	4	BC-604	Seminar and Comprehensive Viva-Voce	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-4



## AECC ; Ability Enhancement Compulsory Course

### Grades and Grade Points

Percentage Marks	Grade Point	Letter Grade
90-100	10	O (Outstanding)
75-89	9	A+ (Excellent)
61-74	8	A (Very good)
55-60	7	B + (Good)
50-54	6	B (Above average)
45-49	5	C (Average)
40-44	4	P (Pass)
0-39	0	F (Fail)
Absent	0	Ab (Absent)

### Computation of SGPA and CGPA

- (i) The SGPA is the ratio of the sum of the product of the number of credits with the grade points scored by the student in all the courses taken by a student and the sum of the number of credits of all the courses undergone by a student, i.e.
- $$SGPA (S_i) = (C_i \times G_i) / C_i$$
- Where  $C_i$  is the number of credits of the  $i$ th course and  $G_i$  is the grade point scored by the student in the  $i$ th course.
- (ii) The CGPA is also calculated in the same manner taking into account all the courses undergone by a student over all the semesters of a programme, i.e.
- $$CGPA = (C_i \times S_i) / C_i$$
- Where  $S_i$  is the SGPA of the  $i$ th semester and  $C_i$  is the total number of credits in that semester.
- (iii) The SGPA and CGPA shall be rounded off 2 decimal points and reported in the transcripts.

### विविध संकाय एवं पाठ्यक्रम चयन

वर्तमान में महाविद्यालय में चार संकायों के अन्तर्गत अध्ययन हेतु विषय चयन की व्यवस्था निम्नवत् है:- स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा विज्ञान/वाणिज्य/कला वर्ग से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा होगी। भूगोल एवं इतिहास एक साथ नहीं लिए जा सकते हैं। भूगोल विषय तभी स्वीकृत किया जायेगा जब इण्टरमीडिएट स्तर पर उसका अध्ययन किया गया हो अथवा इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग के विषयों के साथ उत्तीर्ण की गई हो।

स्नाकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा विज्ञान/वाणिज्य/कला वर्ग से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा होगी।

#### 1. कला संकाय में उपलब्ध विषय

क्रमांक	विषय	स्नातक स्तर पर सीट	स्नातकोत्तर स्तर पर सीट
1	हिन्दी	120	60
2	अंग्रेजी	120	.....
3	संस्कृत	60	.....
4	इतिहास	120	60
5	भूगोल	60	.....
6	राजनीति शास्त्र	120	60
7	अर्थशास्त्र	120	60

## 2. विज्ञान संकाय में उपलब्ध विषय

स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा विज्ञान वर्ग से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा होगी। अध्ययन हेतु निम्नलिखित में से किसी एक समूह का चयन किया जा सकता है।

1. गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान/गणित, भौतिकी, भूगर्भ-विज्ञान।
2. जन्तु, वनस्पति, रसायन विज्ञान/जन्तु, वनस्पति, भूगर्भ-विज्ञान।
- 3.

स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा विज्ञान वर्ग से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा होगी।

क्रमांक	विषय	स्नातक स्तर पर सीट	स्नातकोत्तर स्तर पर सीट
1	गणित	60	.....
2	भौतिक विज्ञान	60	.....
3	रसायन विज्ञान	120	15
4	जन्तु विज्ञान	60	15
5	वनस्पति विज्ञान	60	15
6	भूगर्भ विज्ञान	60	.....

## 3. वाणिज्य संकाय में उपलब्ध विषय

स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा वाणिज्य वर्ग से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा होगी। अन्य विषय के साथ अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा के साथ वाणिज्य में क्वालिफाईंग परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा।

स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा वाणिज्य वर्ग से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा होगी।

क्रमांक	विषय	स्नातक स्तर पर सीट	स्नातकोत्तर स्तर पर सीट
1	वाणिज्य	60	60

## 4. शिक्षा संकाय :

शिक्षा स्नातक (बी.एड. द्विवर्षीय) का स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम (50 सीट)

शिक्षा स्नातक (बी.एड. द्विवर्षीय) के प्रशिक्षणार्थियों के लिए चार सेमेस्टर में कुल 12 प्रश्न पत्रों तथा चार ई.पी.सी. प्रश्नपत्रों के साथ दो शिक्षण विषय (स्नातक स्तर के विषयों के आधार) का शिक्षण एवं प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। दोनो शिक्षण विषयों का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा। शिक्षण विषयों का विभाजन विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार है:-

(अ) कला वर्ग हेतु : हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, नागरिकशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामाजिक अध्ययन, कम्प्यूटर साइंस, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कला।

(ब) गणित, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस

## 5. व्यवसायिक पाठ्यक्रम :

महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदानित 1. बिजनेस इकोनॉमिक्स एण्ड फाइनेन्स 2. फारेस्ट्री एण्ड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट 3. बायोलॉजिकल टेकनीक्स एण्ड स्पेसिमेन प्रेपरेशन 4. जेमोलॉजी (रत्न विज्ञान) 5. नर्सरी टेकनीक्स एण्ड आरचर्ड मैनेजमेंट एवं हिन्दी में दक्षता (प्रत्येक पी.जी. (डिप्लोमा कोर्स / सर्टिफिकेट कोर्स) नामों से व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। संस्थागत/व्यक्तिगत स्नातक/स्नातकोत्तर के साथ-साथ उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है।

## दूरस्थ शिक्षा

### 2. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU)

महाविद्यालय परिसर में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) का भी अध्ययन केन्द्र वर्ष 2010-11 से संचालित है। वि०वि० अनुदान आयोग तथा शासन द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली समाप्ति के उपरान्त प्रवेशार्थी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर लाभ उठाया जा सकता है। इस केन्द्र के पाठ्यक्रमों का लाभ कोई भी विद्यार्थी अथवा अन्य कोई नौकरीपेशा प्राप्त व्यक्ति उठा सकता है। छात्र अपनी नियमित डिग्री के साथ साथ निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को भी कर सकता है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के इस अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित ग्रीष्म कालीन एवं शीतकालीन सत्रों हेतु पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. बी.ए., बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.एस.सी.
2. एम.ए. (अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र), एम.कॉम., एम.बी.ए., MSW, MSC, (Physics, Chemistry, Maths, Botany, Zoology)
3. डिप्लोमा कोर्स – प्रबन्धन, दूरिज्म स्टडीज़, जन स्वास्थ्य एवं सामुदायिक पोषण।
4. स्नातकोत्तर डिप्लोमा – मानव संसाधन प्रबन्धन, विपणन प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन।
5. सर्टिफिकेट कोर्स – पंचायती राज, विक्रय कला एवं विपणन, English Language and Personality Development.
6. कला एवं वाणिज्य में स्नातक हेतु प्रारम्भिक कार्यक्रम (दसवीं/बारहवीं कक्षा में अनुत्तीर्ण/जिनके पास किसी प्रकार का औपचारिक शिक्षा प्रमाण पत्र नहीं है)

## अनुशासन

अनुशासक मण्डल (Proctorial Board) महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। महाविद्यालय की परम्परा निमाने के लिए समय-समय पर नियम बनाये जाते हैं, जिनका पालन छात्रों के लिए अनिवार्य है। विद्यार्थी द्वारा किसी भी अनुचित व्यवहार या किसी नियम के उल्लंघन पर महाविद्यालय द्वारा उसके विरुद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके अन्तर्गत निलम्बन, निष्कासन, विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित करना आदि सम्मिलित हैं।

### उपस्थिति नियम

शासनादेश संख्या 528 (1)/15-(उ.शि.) 1/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार महाविद्यालय का कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि वह लेक्चर/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में पृथक-पृथक 75% उपस्थिति पूरी नहीं करता। बी.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की 80% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

### रैगिंग पाबन्दी

माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी रैगिंग को अमानवीय, असामाजिक एवं आपराधिक कृत्य मानते हुए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं। इनके अनुपालन में महाविद्यालय ने रैगिंग पर पूर्ण पाबन्दी सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय में रैगिंग निरोधी समिति (Anti Ragging Committee) का गठन किया गया है।

रैगिंग का तात्पर्य है, "लिखकर, बोलकर, हावभाव दिखाकर अथवा शारीरिक क्रिया से किसी विद्यार्थी को कष्ट पहुँचाना; किसी विद्यार्थी को भौतिक रूप से प्रताड़ित करना; नवागन्तुक एवं अपने से कनिष्ठ विद्यार्थियों को डराना, धमकाना, हतोत्साहित करना, उनके क्रियाकलापों में अवरोध पैदा करना, परेशान करना, मानसिक क्लेश पहुँचाना, उन्हें ऐसे कृत्य करने के लिए बाध्य करना जिन्हें वे सामान्य दशा में नहीं करते हैं अथवा जिन्हें करके वे शर्मिन्दा होते हैं, दुःखी होते हैं और ऐसा करके उनके भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है; तथा रैगिंग जैसे दुष्कृत्य को प्रेरित करना।"

रैगिंग में लिप्त पाये गये विद्यार्थी के विरुद्ध अपराध की गम्भीरता के अनुसार निम्नलिखित दण्डात्मक कार्रवाइयों का प्राविधान है, यथा :

(1) प्रवेश निरस्तीकरण, (2) कक्षा से निलम्बन एवं परीक्षा देने पर प्रतिबन्ध, (3) छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं पर रोक, (4) छात्रावास से निष्कासन, (5) रु. 25,000.00 का जुर्माना, (6) संस्थान से निष्कासन एवं किसी अन्य संस्था में प्रवेश पर प्रतिबन्ध, (7) न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना आदि।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों पर प्रमुख रूप से ध्यान दें:

1. कक्षा व महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, तम्बाकू, पान, गुटका आदि का सेवन न करें।
2. संस्थान के भवन व अन्य सामग्रियों को क्षति न पहुँचायें।
3. दीवारों, दरवाजों व मेजों पर न लिखें व उन पर इशतहार न लगायें।
4. शास्ता द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन न करें।
5. वचन या कर्म द्वारा हिंसा अथवा बल प्रयोग न करें।
6. अन्य विद्यार्थियों के साथ अशिष्ट व्यवहार न करें।
7. शिक्षकों व अधिकारियों का मन, वचन या क्रिया द्वारा निरादर न करें।
8. ऐसा कोई भी कार्य करने की कुचेष्टा न करें जिससे महाविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुँचे।
9. महाविद्यालय परिसर धूम्रपान रहित क्षेत्र है। अतएव महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है।

## अन्य सुविधाएँ

### पुस्तकालय/वाचनालय/बुक बैंक

(1) **पुस्तकालय** - महाविद्यालय पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस में खुला रहता है। पुस्तकें प्राप्त करने के लिए निर्धारित माँग पत्र भरकर पुस्तकालयाध्यक्ष को देना चाहिए। इसके लिए छात्र को अपना पुस्तकालय पत्र एवं परिचय पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। परिचय पत्र के बिना पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेंगी। पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा माँगे जाने पर छात्र को निर्गत पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी छात्र की होगी। यदि कोई पुस्तक फट जाये, गन्दी हो जाये या किसी भी नष्ट हो जाये तो छात्र को उसके बदले में नयी पुस्तक लौटानी होगी। संदर्भ पुस्तकें अध्ययन कक्ष में ही पढ़ी जा सकेंगी। सभी पुस्तकें परीक्षा आरम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व लौटानी होंगी।

(2) **वाचनालय** - महाविद्यालय में छात्रों के लिये दैनिक पत्र एवं पत्रिकाएँ पढ़ने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र-पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। वाचनालय में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं।

### सेवायोजन परामर्श केन्द्र

छात्रों को विभिन्न सेवाओं में सेवायोजन हेतु सहायता/परामर्श देने के लिये महाविद्यालय में सेवायोजन परामर्श केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसके अन्तर्गत छात्रों को सेवायोजन सम्बन्धी अपेक्षित सूचना एवं परामर्श दिया जाता है। छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा सी.पी.एम.टी., इन्जीनियरिंग, आई.ए.एस., पी.सी.एस., सी.डी.एस., आदि हेतु तैयार करने के लिये निःशुल्क कोचिंग दी जाती है।

### कम्प्यूटर प्रशिक्षण (ICT Lab)

उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से महाविद्यालय में व्यावसायिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन होता है। इसके माध्यम से छात्र अपनी सामान्य उपाधि के साथ-साथ महाविद्यालय प्रांगण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ स्थापित वैकल्पिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

### नेटवर्क रिसोर्स सेंटर (NRC)

महाविद्यालय परिसर में यू.जी.सी. नेटवर्क रिसोर्स सेंटर भी स्थापित है। इसका उद्देश्य शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों में कम्प्यूटर, विशेष रूप से शिक्षण कार्य में मल्टीमीडिया, के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। इस सेंटर में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

### एडुसैट (EDUSAT)

उच्च तकनीकी सुविधा से युक्त महाविद्यालय के एडुसैट कक्ष में 30 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है जिसमें स्नातक स्तर के विद्यार्थी देहरादून हब से सेटलाइट प्रसारण के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम से सम्बन्धित उच्च कोटी के उपयोगी जीवन्त विडियो-व्याख्यानों से लाभान्वित होते हैं।

### जिमनेजियम

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के शरीर-सौष्ठव एवं स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये उच्च गुणवत्ता वाले उपयोगी उपकरणों से युक्त जिमनेजियम-सह-व्यायाम कक्ष की व्यवस्था है। यहाँ वे नियमित व्यायाम के माध्यम से अपने स्वास्थ्य का संवर्द्धन एवं विकास कर स्वयं प्रफुल्लित रह सकते हैं।

**महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ** : छात्राओं की समस्याओं के समाधान हेतु महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गठित की गई है। छात्राएँ अपनी किसी भी समस्या के विषय में समिति से संपर्क कर सकती हैं।

### छात्र कल्याण

**(1) छात्रवृत्ति** : महाविद्यालय द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदान प्रदान किये जाते हैं। छात्रवृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति कम से कम 75% प्रतिमाह होनी आवश्यक है। राजाज्ञानुसार छात्र को एक ही प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है। जो बी.एड. प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति हेतु अर्ह हैं वे भी विभागाध्यक्ष से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा वितरित प्रमुख छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदान निम्नवत् हैं:

- i) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति एवं के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति – यह छात्रवृत्ति उक्त वर्ग के उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो महाविद्यालय के नियमित छात्र हैं। इसके अतिरिक्त –
  - अ. अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम रूपये 1 लाख तक होनी चाहिए।
  - ब. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम रूपये 1 लाख 8 हजार तक होनी चाहिए।
  - स. पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं हेतु माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम रूपये 44 हजार 5 सौ तक होनी चाहिए।

ii) विकलांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति - यह छात्रवृत्ति कम से कम 40% प्रमाणित विकलांगता वाले महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को दी जाती है। इन विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 24,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रार्थना-पत्र कार्यालय से प्राप्त कर आय प्रमाण पत्र एवं विकलांगता प्रमाणपत्र सहित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।

उक्त छात्रवृत्तियाँ जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।

(iv) श्रीमती गायत्री देवी-विश्वम्भर दत्त जोशी छात्रवृत्ति - यह छात्रवृत्ति ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 36,000/- हो तथा जिन्होंने स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा कम से कम 50% अंक प्राप्त किये हो तथा उन्हें अन्य किसी प्रकार की सहायता प्राप्त न हो।

**विशेष :** समय-समय पर उक्त छात्रवृत्तियों की दरों एवं अन्य नियमों में परिवर्तन होते रहते हैं, अतः विद्यार्थियों को महाविद्यालय कार्यालय तथा प्रभारी प्राध्यापक से सम्पर्क बनाये रखना चाहिए। छात्रवृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति कम से कम 75% होनी आवश्यक है।

(2) **शुल्क मुक्ति :** निर्धन एवं मेधावी छात्रों को शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है। महाविद्यालय में अध्ययनरत दो या दो से अधिक सगे भाई/बहन में से एक या दो को अर्द्ध शुल्क मुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। शुल्क मुक्ति उसी दशा में जारी रह सकेगी जब तक कि छात्र की प्रगति निरन्तर संतोषप्रद, अध्ययन नियमित, आचरण उत्तम तथा प्रत्येक माह में उपस्थिति कम से कम 75% हो। प्राचार्य को किसी भी समय बिना कारण बताये इस सुविधा को समाप्त करने का अधिकार है।

(3) **रेलवे कन्सेशन :** महाविद्यालय के नियमित छात्र/छात्राओं को ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश में घर जाने एवं शैक्षिक परिभ्रमण के लिए रेलवे कन्सेशन की सुविधा प्रदान की जाती है। रेल किराये में यह छूट नियमानुसार कोटद्वार से स्थायी निवास एवं स्थायी निवास से कोटद्वार हेतु रेल विभाग द्वारा दी जाती है। इसके लिए विद्यार्थी को कम से कम 10 दिन पूर्व आवेदन करना चाहिए।

### **परिचय पत्र/चरित्र प्रमाण-पत्र/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र**

(1) **परिचय पत्र -** संस्था के प्रमाणित छात्र होने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र अवश्य प्राप्त करना होगा, और इसे हमेशा अपने साथ रखना होगा। परिसर में कभी भी प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा विद्यार्थी से परिचय पत्र माँगा जा सकता है। परिचय पत्र न दिखा पाने की स्थिति में उसे परिसर से निष्कासित किया जा सकता है।

(2) **चरित्र प्रमाणपत्र -** चरित्र प्रमाणपत्र पूरे शिक्षा सत्र में केवल दो बार दिया जायेगा- (i) छ: महीने से अध्ययनरत का एवं (ii) परीक्षाफल निकलने के बाद का। चरित्र प्रमाण मुख्य शास्ता (Chief Proctor) की संस्तुति पर दिया जाता है।

(3) **स्थानांतरण प्रमाणपत्र -** इस के लिए छात्र को निर्धारित फार्म पर प्राचार्य को प्रार्थना पत्र देना होगा तथा आवश्यक शुल्क जमा करना होगा। सामान्यतः प्रार्थना पत्र देने के 03 दिन बाद ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

## शिक्षणैतर ँव ढाठुतसहगामी क्रियाकलाढ

विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु महाविद्यालय में निम्नलिखित शिक्षणैतर ँव ढाठुतसहगामी गतिविधियों संचालित की जाती हैं:

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme) - इसमें नियमित ँव विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिनमें विद्यार्थी निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य ँव स्वच्छता सम्बन्धी कार्य, प्रौढ शिक्षा आदि कार्य करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना युवा शक्ति को देशहित ँव जनहित में लगाने ँव सामाजिक विषयों पर जनजागरण का माध्यम है। वर्तमान में महाविद्यालय में एन.एस.एस. की दो इकाईयाँ पंजीकृत हैं जिसमें अधिकृत प्रवेश स्थान 200 हैं।

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps) - इसके अन्तर्गत छात्रों को अर्द्धसैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में महाविद्यालय में एन.सी.सी. की एक प्लाटून पंजीकृत है जिसमें अधिकृत प्रवेश संख्या 53 कैडेट्स की है।

(3) रोवर्स ँव रेंजर्स (Rovers and Rangers) - यह स्काउट ँव गाइड की सीनियर शाखा होती है। इसमें अधिकृत प्रवेश संख्या 24 रोवर्स (Boys) ँव 24 रेंजर्स (Girls) है।

(4) क्रीड़ा परिषद् - महाविद्यालय में खेलकूद के स्तर में विकास ँव छात्रों की खेलों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के उद्देश्य से क्रीड़ा परिषद् की स्थापना की गयी है। परिसर में विभिन्न खेल-कूद ँव जिमनेजियम की सुविधा उपलब्ध हैं।

(5) सांस्कृतिक परिषद् - प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद् का गठन किया जाता है। इसकी कार्यकारिणी में प्रमुख भूमिका महाविद्यालय के सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में अभिरुचि रखने वाले छात्रों की रहती है। सांस्कृतिक परिषद् विभिन्न अवसरों पर विविध कार्यक्रम तथा सत्रान्त में विशेष समारोह का आयोजन करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गोष्ठी, परिचर्चा, वाद-विवाद प्रतियोगिता, नाटक, संगीत, नृत्य आदि प्रमुख हैं। इन्हें व्यावसायिक स्तर पर प्रतिष्ठित करने की भी व्यवस्था है।

(6) महाविद्यालय पत्रिका - महाविद्यालय पत्रिका का प्रकाशन 'उपत्यका' के नाम से किया जाता है। वर्ष 2013 से पत्रिका को ISSN आबंटित हो गया है। इस पत्रिका का उद्देश्य छात्रों में लेखन प्रतिभा का विकास करना है। छात्रों को प्रवेश लेने के बाद सम्पादकों से रचना व लेख आदि के लिये परामर्श कर तदनुसार अपनी रचनाएँ पत्रिका सम्पादक को दे देना चाहिए। इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्रों में से दो छात्र-सम्पादक भी चुने जाते हैं। इसके लिये विशेष पुरस्कारों की व्यवस्था भी है।

(7) विभागीय परिषदें - प्रत्येक विभाग में एक विभागीय परिषद् होती है और उस विभाग के समस्त विद्यार्थी परिषद् के सदस्य होते हैं। विभागीय परिषद् के तत्वावधान में निबन्ध, वाद-विवाद प्रतियोगिता, विचार-गोष्ठी ँव अन्य उपयोगी क्रियाकलाप संचालित किये जाते हैं।

(8) प्रसार व्याख्यान माला - इसके अन्तर्गत छात्रों के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि के लिये विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर योग्य विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं।

(9) **सैमीनार** - महाविद्यालय में समय-समय पर विभागीय स्तर पर सेमीनार आयोजित किये जाते हैं जिनमें विद्यार्थी को शोधपत्र प्रस्तुत करने, परिचर्चा करने एवं शोध के क्षेत्र में प्रगति करने हेतु दिशा निर्देशन प्राप्त होता है।

(10) **छात्र-संघ** - प्रत्येक वर्ष सत्रावधि के लिये महाविद्यालय के छात्र संघ का गठन किया जाता है। पदाधिकारियों का चुनाव संस्थागत छात्र-छात्राओं द्वारा किया जाता है। छात्र संघ का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रणाली से छात्रों को परिचित कराना एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों की समस्याओं को महाविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में लाना है। छात्र संघ की समस्त गतिविधियाँ संविधान से संचालित एवं नियमित होती हैं। इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(11) **कैन्टीन** - विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में कैन्टीन की सुविधा है। यहाँ निर्धारित दर पर चाय, अल्पाहार/सूक्ष्म जलपान एवं भोजन उपलब्ध रहता है।

## प्रवेश प्रक्रिया

### 1. प्रवेष्टा सम्बन्धी सामान्य अनुदेश

1. प्रत्येक कक्षा में प्रवेशार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र प्रवेश निर्देशिका (Prospectus Brochure) सहित महाविद्यालय कार्यालय से निर्धारित मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेशार्थियों को चाहिए कि वे आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी प्रवेश नियमों को भली-भाँति पढ़ लें एवं महाविद्यालय में उपलब्ध विषय-समूहों की जानकारी यथावत् कर लें।

2. प्रवेशार्थियों को पूर्णतया भरे हुए एवं निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का आवक्ष फोटो लगे हुए आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न कर महाविद्यालय कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने होंगे :

- (i) विगत सभी परीक्षाओं के अंक-पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
- (ii) आयु प्रमाण-पत्र के लिए हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
- (iii) अन्तिम विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (Transfer Certificate) एवं चरित्र प्रमाणपत्र (Character Certificate) की मूल प्रति।
- (iv) किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लेने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्गत प्रमाणपत्र की मूल प्रति।
- (v) किसी भी प्रकार के भारण का लाभ लेने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्गत प्रमाणपत्र की मूल प्रति।

**नोट:** अन्य विश्वविद्यालय के प्रवेशार्थी को मूल प्रव्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) एक माह के अन्दर जमा करना आवश्यक है अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

3. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है।

4. प्रवेश समिति सभी पूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार करेगी एवं उपलब्ध संसाधनों, सीटों की संख्या एवं निर्धारित योग्यता के अनुसार प्रवेश देगी।

5. प्रवेश समिति अर्ह प्रवेशार्थियों का मेरिट के आधार पर साक्षात्कार करने के पश्चात् सफल प्रवेशार्थियों की सूची प्राचार्य की स्वीकृति हेतु संस्तुत करेगी। जिन प्रवेशार्थियों का प्रवेश प्राचार्य द्वारा स्वीकृत हो जायेगा उन्हें सूचना पट पर निर्दिष्ट सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय/बैंक में पूरा शुल्क जमा करना होगा, अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। किन्तु कश्मीर से पुनर्स्थापितों के लिए अन्तिम तिथि में एक माह की छूट का प्रवाधान है।



6. यदि किसी छात्र के अध्ययन काल में व्यवधान आ गया है तो उसे प्रवेश तमी दिया जा सकता है जब वह अध्ययन में व्यवधान के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम न्यायालय के नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथपत्र तथा उपर्युक्त अवधि का राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

7. बी.एड. में प्रवेश हे.नं.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तथा उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशों एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

## 2. प्रवेश नियम

1. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक तथा कला व वाणिज्य वर्ग के लिए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक आवश्यक हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रवेशार्थियों के लिए 5% की छूट होगी। इस हेतु 44.9% व 39.9% को गणना हेतु क्रमशः 45% व 40% नहीं माना जायेगा।

एम.काम. हेतु- बी.ए./बी.एस.सी., गणित/अर्थशास्त्र विषय में 50% अंको से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेशार्थियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश के अनुसार आरक्षण का लाभ (क्रमशः 19%, 4% एवं 14%) दिया जायेगा जिसमें निम्नलिखित शैतिज आरक्षण भी देय होंगे।

(अ) महिलाएँ 30%

(ब) स्वयं भूतपूर्व सैनिक 5%

(स) दिव्यांग व्यक्ति 4%

(द) स्वतन्त्रा संग्राम सेनानी आश्रित 2%

3. संस्थागत विद्यार्थी के रूप में केवल उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। अनुत्तीर्ण अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने वाले विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र न होंगे।

4. दो वर्ष या अधिक अन्तराल (गैप) वाले अभ्यर्थियों को तमी प्रवेश दिया जा सकता है जबकि वह उक्त गैप की अवधि का कारण सन्तोषजनक रूप से स्पष्ट करते हुए नोटरी का शपथपत्र जमा कर दे।

5. स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा छोड़ने वाले छात्र को एक और केवल एक बार संकाय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

6. जिन छात्रों की गतिविधियाँ अनुशासन मण्डल/महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय हैं उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है या निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

7. अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

8. प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद प्रवेश आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

9. गलत एवं अपूर्ण सूचनाएँ प्रस्तुत करने पर किसी भी छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। अगर किसी त्रुटिवश या गलत तथ्यों के आधार पर किसी छात्र/छात्रा को प्रवेश दे दिया गया तो तथ्यों के प्रकाश में आने पर इस अनियमित प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

10. संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं ले सकता है। नियम का उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

11. शिक्षा स्नातक (बी.एड द्विवर्षीय) के प्रशिक्षणार्थियों के लिए चार सेमेस्टर में कुल 11 प्रश्न पत्रों तथा चार ई.पी.सी. प्रश्न पत्रों के साथ दो शिक्षण विषय (स्नातक स्तर के विषयों के आधार) का शिक्षण एवं प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। दोनों शिक्षण विषयों का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा। शिक्षण विषयों का विभाजन विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार है:-

(अ) कला वर्ग हेतु: हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान- नागरिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामाजिक अध्ययन, कम्प्यूटर साइंस, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कला।

(ब) गणित, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस।

12. प्राचार्य को बिना कारण बताए प्रवेश न देने/निरस्त करने का अधिकार होगा।

13. स्नातक कक्षाओं के लिए आवेदकों को पुनः उसी कक्षा में किसी विषय में अध्ययन हेतु प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिस कक्षा को उन्होंने पास कर लिया है। उदाहरण के तौर पर बी.एस.सी. पास करने वाले विद्यार्थी बी.एस.सी. में किसी दूसरे विषयों के समूह के साथ या बी.ए., बी.काम. में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। हालांकि स्नातकोत्तर कक्षाओं में एक बार किसी विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् किसी दूसरे विषय में अर्हता पूर्ण करने के उपरान्त योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है।

### 3. प्रवेश हेतु योग्यता सूचकांक का निर्धारण

1. स्नातक स्तर पर प्रवेश योग्यता-सूचकांक के आधार पर होगा जो इण्टरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर बनाया जायेगा।

2. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश योग्यता सूचकांक के आधार पर होगा जिसकी गणना निम्न सूत्र से की जायेगी:  
छात्र द्वारा प्राप्त X एवं Y का योग

$$\text{योग्यता सूचकांक} = \frac{\text{अधिकतम X एवं अधिकतम Y का योग}}{\dots} \times 100$$

यहाँ X स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक तथा Y प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीन वर्षों में लिखित (Theory) के प्राप्तांकों का योग है।

3. अन्य योग्यताओं के लिए अतिरिक्त अंक निम्नलिखित प्रकार से देय होंगे :

(i) गढ़वाल मण्डल से इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र को 5 अंक।

(ii) पौड़ी जनपद के भूल निवासी होने पर 3 अंक।

(iii) आवेदक ने यदि उसी महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो 5 अंक एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्नातक को 3 अंक (अधिकतम 5)।

(iv) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को 10 अंक।

(v) ज़ोनल/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 3 एवं 5 अंक (अधिकतम 5)।

(vi) एन.सी.सी. के 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक तथा राष्ट्रीय गणतन्त्र दिवस परेड करने वाले को 3 अंक (अधिकतम 3)।

- (vii) एन.एस.एस. के 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घण्टे का शिविर + दो विशेष शिविर करने वाले को 1 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतन्त्र दिवस परेड करने वाले को 2 अंक (अधिकतम 2)।
- (viii) स्काउट में जी.1 धारक को 1 तथा जी.2 धारक को 2 अंक (अधिकतम 2)।
- (ix) ध्रुवपद/गुरुपद धारक को 2 अंक।
- (x) प्रवेश नियमावली से संबंधित उपबंध में परिवर्तन होने पर नये नियम प्रभावी होगा।

- नोट :** (1) उपर्युक्त नियम 3 में स्नातक स्तर पर अधिकतम 15 अंक स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम 17 अंक ही देय होंगे।
- (2) उपर्युक्त नियम 3 (i) से (iii) तक के अंक केवल स्नातक स्तर पर ही देय होंगे।
- (3) उपर्युक्त नियम 3 (iv) के अंक केवल स्नातकोत्तर स्तर पर ही देय होंगे।
- (4) शासन/विश्वविद्यालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त होने पर उपरोक्त नियमों में यथावश्यकता परिवर्तन किया जा सकता है।

#### 4. विद्यार्थियों के लिए निर्देश

1. सफल प्रवेशार्थी सूचना पट पर निर्दिष्ट सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में पूरा शुल्क जमा करने के तुरन्त बाद सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क करें।
2. प्रत्येक विषय में समय-सारणी (Time Table) के अनुसार व्याख्यान/सेमिनार/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाएँ आरंभ होती हैं। अतः अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें, जिससे 75% से कम उपस्थिति न हों।
3. प्रत्येक विद्यार्थी महाविद्यालय कार्यालय तथा विभागों के सूचना पट पर प्रदर्शित सूचनाओं को देखता रहे। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों/परिनियमों का पालन उनके लिये अनिवार्य है।
4. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल लाना वर्जित है। यदि कोई छात्र/छात्रा मोबाइल परिसर में लाता है तो साइलेंट मोड में रखें। अन्यथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग द्वारा आन्तरिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिसके प्राप्त अंक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ जोड़े जाते हैं। विद्यार्थियों को अपने विषय की आन्तरिक परीक्षा देना अनिवार्य है यदि महाविद्यालय द्वारा नियत तिथि पर विद्यार्थी परीक्षा नहीं देता है तो इसकी पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा। नियत तिथि के बाद कोई आन्तरिक परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
6. महाविद्यालय में परिचय पत्र के साथ उपस्थित रहें, बिना परिचय पत्र के महाविद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।
7. प्रवेश लेने के उपरान्त एक सप्ताह के अंदर ही विषय अथवा संकाय परिवर्तन करने की अनुमति होगी।
8. महाविद्यालय के छात्र/छात्राएं आनलाइन परीक्षा फार्म भरने के उपरान्त हार्ड कापी जमा करने से पहले संबंधित विषय प्राध्यापक से अपनी हार्ड कापी प्रमाणित करा लें।

#### नोट:

1. वार्षिक शुल्क का कक्षावार विवरण आगे तालिका में दिया गया है।
2. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर प्राप्त निर्देशानुसार उपर्युक्त वर्णित शुल्क मदों में यथावश्यकता संशोधन किया जायेगा।
3. जिन विद्यार्थियों को शुल्क मुक्ति की सुविधा स्वीकृत की जायेगी उन्हें केवल शिक्षण शुल्क की धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
4. प्रतिभूति धनराशि महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र निकलवाने पर ही देय होगी तथा यह सुविधा महाविद्यालय छोड़ने के बाद एक वर्ष तक ही रहेगी।
5. बी.एड. के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त स्काउट प्रमाणपत्र शुल्क भी देय होगा।
6. परिचय पत्र एवं शुल्क रसीद के द्वितीय प्रति के लिए 50 ₹ देय होगा।

## शुल्क विवरण

क्रमांक	विवरण	स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर स्तर
1	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00
2	शिक्षण शुल्क	0.00	180.00
3	प्रयोगशाला शुल्क	240.00	240.00
4	मंहगाई शुल्क	240.00	240.00
5	विकास शुल्क	20.00	20.00
6	पुस्तकालय शुल्क	3.00	10.00
7	क्रीडा शुल्क	360.00	360.00
8	सांस्कृतिक परिषद्	50.00	50.00
9	विभागीय परिषद्	50.00	50.00
10	रोवर्स/रेंजर्स	60.00	60.00
11	पत्रिका	50.00	50.00
12	छात्रसंघ	50.00	50.00
13	वाचनालय	30.00	30.00
14	परिचय पत्र	25.00	25.00
15	निर्धन छात्र सहायता	10.00	10.00
16	प्रांगण विकास	20.00	20.00
17	कैरियर काउन्सलिंग सैल	30.00	30.00
18	जनरेटर शुल्क	50.00	50.00
19	कम्प्यूटर शुल्क	70.00	70.00
20	प्रयोगशाला सामग्री	60.00	60.00
21	प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00
22	विविध शुल्क	100.00	100.00
23	महाविद्यालय दिवस	20.00	20.00
24	विद्युत शुल्क	60.00	60.00
25	पीटी0ए0	30.00	30.00
26	नामांकन शुल्क	100.00	100.00
27	परीक्षा शुल्क प्रति सेमेस्ट	विश्वविद्यालय	नियमानुसार

**विद्योष:** उक्त वर्णित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क महाविद्यालय द्वारा नहीं लिया जाता है। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय के सूचना पट पर प्राचार्य के आदेश से सूचना प्रकाशित की जायेगी। विद्यार्थी किसी भी प्रकार का शुल्क बिना शुल्क रसीद प्राप्त किये जमा नहीं करेंगे।

## महाविद्यालय परिवार

संरक्षक	प्रोफेसर कुमकुम रौतेला	प्राचार्य
1. वनस्पति विज्ञान विभाग	1. डॉ. राकेश कुमार द्विवेदी 2. डॉ. डी.सी. बेबनी 3. डॉ. पवनिका चन्दौला 4. श्री बालेन्दु कृष्ण नेगी	असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट फ़ैकल्टी प्रयोगशाला सहा० (संविदा)
2. रसायन विज्ञान विभाग	1. डॉ. एस०पी० मधवाल 2. श्री सन्तोष कुमार 3. श्री बलवन्त सिंह नेगी	प्रोफेसर गैस्ट फ़ैकल्टी प्रयो० सहा०
3. भौतिक विभाग	1. डॉ. मनोज यादव 2. डॉ. कमल कुमार 3. श्री अनिल वर्मा	प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रयोगशाला सहा०
4. भू-विज्ञान विभाग	1. श्रीमती गुंजन आर्य 2. श्रीमती दीप्ति देवी	असिस्टेंट प्रोफेसर अनुसेवक
5. गणित विभाग	1. डॉ. दीपचन्द्र मिश्रा 2. विनिता देवी	असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर
6. जन्तु विज्ञान विभाग	1. डॉ. संजय मदान 2. डॉ. मोहन कुकरेती 3. कु० रंजना 4. श्री धर्मेन्द्र सिंह रावत	असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट फ़ैकल्टी प्रयो० सहा० (संविदा) अनुसेवक
7. राजनीति शास्त्र विभाग	1. श्री कुलदीप सिंह	संविदा प्रवक्ता
8. हिन्दी विभाग	1. डॉ. शालिनी	गैस्ट फ़ैकल्टी
9. भूगोल विभाग	1. डॉ. रामसूरत 2. डॉ. पारितोष उप्रेती 3. श्री तारा सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट फ़ैकल्टी अनुसेवक
10. इतिहास विभाग	1. रिक्त	
11. अंग्रेजी विभाग	1. कृतिका क्षेत्री	असिस्टेंट प्रोफेसर
12. अर्थशास्त्र विभाग	1. डॉ. हिमानी	असिस्टेंट प्रोफेसर
13. संस्कृत विभाग	1. श्रीमती मनीषा सिंह	गैस्ट फ़ैकल्टी

14. वाणिज्य संकाय

1. डॉ. अवधेश नारायण सिंह
2. डॉ. पंकज कुमार
3. श्री राजेश कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर  
असिस्टेंट प्रोफेसर  
गैस्ट फैकल्टी

1. पुस्तकालय

1. रिक्त
2. रिक्त
3. श्री पंकज कुमार मैदोला

पुस्तकालयाध्यक्ष  
बुक लिफ्टर  
अनुसेवक

2. कार्यालय

1. श्री दिलवर सिंह नेगी
2. श्री नवीन सिंह मर्तोलिया
3. श्री विनोद सिंह
4. रिक्त
5. रिक्त
6. श्री बृजमोहन सिंह नेगी
7. श्री प्रदीप रौतेला
8. श्री अंकुर
9. श्री सोनू वाल्मीकी
10. श्री अनिल सिंह

व. प्रशासनिक अधिकारी  
आशु लिपिक  
लिपिक (संविदा)  
दफतरी  
चौकीदार  
अनुसेवक  
अर्दली  
अनुसेवक (संविदा)  
सफाईकार  
अनुसेवक (संविदा)

**स्ववित्त पोषित बी.एड. पाठ्यक्रम**

1. शिक्षा संकाय

1. डॉ. रामकृपाल सिंह
2. श्री रमाशंकर
3. श्री विनीत सिंह
4. डॉ. भुवन भाष्कर
5. विवेक कुमार मिश्रा
6. रश्मि राणा
7. रिक्त
8. रिक्त
9. श्री विमल रावत
10. श्रीमती सपना रौतेला
11. श्री अजय सिंह

विभागाध्यक्ष (संविदा)  
प्राध्यापक (संविदा)  
प्राध्यापक (संविदा)  
प्राध्यापक (संविदा)  
प्राध्यापक (संविदा)  
प्राध्यापक (संविदा)  
प्राध्यापक (संविदा)  
प्राध्यापक (संविदा)  
शारीरिक शिक्षक (संविदा)  
पुस्तकालयध्यक्ष (संविदा)  
प्रयो० सहा० (संविदा)

1. कार्यालय

1. श्री कुलदीप सिंह बिष्ट
2. श्री प्रकाश असवाल
3. रिक्त
4. मनोज कुमार
5. श्री मुकेश चन्द्र

लेखाकार (संविदा)  
कार्यालय सहायक (संविदा)  
स्टोर कीपर (संविदा)  
परिचारक (संविदा)  
परिचारक (संविदा)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) —समन्वयक— डॉ० कमल कुमार (भौतिक विभाग)

## ACADEMIC CALENDAR OF THE YEAR 2019-20

**भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल (गढ़वाल)**  
**2019-20**

1. प्रवेश आवेदन पत्र विक्रय प्रारम्भ .....	01 जुलाई
2. शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि .....	08 जुलाई
3. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि .....	15 जुलाई
4. प्रथम मेरिट सूची जारी करने की तिथि.....	18 जुलाई
5. प्रथम सूची के प्रवेशार्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि .....	22 जुलाई
6. शिक्षण कार्य प्रारम्भ .....	29 जुलाई
7. प्रवेश की अन्तिम तिथि.....	विश्वविद्यालय निर्देशानुसार
8. छात्र-संघ गठन.....	विश्वविद्यालय निर्देशानुसार
9. विभिन्न परिषदों/समितियों का गठन (छात्र) .....	15 सितम्बर तक
10. वार्षिक क्रीड़ा समारोह .....	09 से 10 दिसम्बर
11. एन.एस.एस. वार्षिक शिविर .....	24 दिसम्बर से 30 दिसम्बर
12. विषम सेमेस्टर परीक्षा <sup>2</sup> .....	दिसम्बर/जनवरी
13. शीतावकाश .....	06 जनवरी से 08 फरवरी
14. वार्षिक समारोह.....	मार्च/अप्रैल
15. प्रायोगिक परीक्षा <sup>2</sup> .....	विश्वविद्यालय निर्देशानुसार
16. सम सेमेस्टर परीक्षा <sup>2</sup> .....	मई/जून
17. ग्रीष्मवकाश .....	03 जून से 05 जुलाई

1. विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम विलम्बित होने पर परिणाम घोषणा के 10 दिन बाद तक
2. विश्वविद्यालय कैलेंडर पर आधारित

**नोट:-** शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में शिक्षण सत्र 2017-2018 से ड्रेस कोड लागू किया गया है, जो समस्त छात्र/छात्राओं हेतु निम्नवत होगा-

छात्र वर्ग -नेवी ब्लू पैन्ट और आसमानी कमीज  
छात्रा वर्ग-नेवी ब्लू कमीज और सफेद सलवार एवं दुपट्टा

## भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल (गढ़वाल)

### मनः सृष्टि (Vision)

शिक्षा से व्यक्ति की आध्यात्मिक एवं भौतिक प्रगति तथा समाज का अभ्युदय हो सकता है।

### संकल्प (Mission)

समुचित, प्रासांगिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा ग्रामीण पर्वतीय जन का समग्र विकास करना।

### उद्देश्य (Objectives)

- ग्रामीण पर्वतीय जनता, विशेष रूप से वंचित एवं कमजोर समुदाय, में उच्च शिक्षा का प्रसार।
- वैज्ञानिक एवं नैतिक शिक्षा का संवर्धन एवं शैक्षणिक उन्नयन।
- विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास।
- उदार एवं पारम्परिक मूल्यों का विकास।

### सूत्रवाक्य (Motto)

'विद्यया ऽ मृतमश्नुते'

अर्थात् विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है या विद्या ही वह साधन है जिससे संसार के सम्पूर्ण जीव अमरता को प्राप्त कर सकते हैं।

(शुक्लयजुर्वेद के उपनिषद ईशोपनिषद (ईशावास्योपनिषद) के 18वें मन्त्र का अंश)





15. शिक्षणतर क्रिया-कलापों का विवरण (उचित प्रमाण-पत्र लगाएँ) \_\_\_\_\_  
(खेलकूद/एन.एस.एस./एन.सी.सी./स्काउट/रोवर्स-रेंजर्स)
16. कौशल आरक्षण श्रेणी (कार्यरत सैनिक/अर्द्धसैनिक बल/भूतपूर्व सैनिक/शहीद/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी) \_\_\_\_\_
17. क्या आप विकलांग हैं? (यदि हाँ तो विवरण दें) \_\_\_\_\_
18. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी के आश्रित (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) (हाँ/नहीं) \_\_\_\_\_  
यदि हाँ तो शिक्षक/कर्मचारी का नाम व विभाग \_\_\_\_\_
19. क्या आपको कभी किसी शिक्षण संस्था से निष्कासित किया गया है? (यदि हाँ तो विवरण दें) \_\_\_\_\_
20. क्या आपके विरुद्ध परीक्षा में अनुचित साधन के प्रयोग का मामला विचाराधीन है? (यदि हाँ तो विवरण दें) \_\_\_\_\_
21. क्या आप किसी सेवा में कार्यरत हैं? (यदि हाँ तो विवरण दें) \_\_\_\_\_
22. छात्र/छात्रा का बचत खाता संख्या \_\_\_\_\_ बैंक का नाम \_\_\_\_\_ शाखा \_\_\_\_\_

### प्रवेश के समय विद्यार्थी द्वारा घोषणा

1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने प्रवेश विवरणिका के समस्त नियमों का अध्ययन कर लिया है तथा मैं उनका पालन करूँगा/करूँगी। मैं अपनी कक्षा में 75% उपस्थिति पूरा करूँगा/करूँगी। कम उपस्थिति की दशा में मुझे यदि विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं रैगिंग सम्बन्धित किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हूँगा/हूँगी तथा रैगिंग सम्बन्धी दण्डात्मक कार्यवाही की मुझे जानकारी है।

पिता/माता/संरक्षक के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
नाम \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

### प्रवेश संस्तुति

कक्षा \_\_\_\_\_ में प्रवेश संस्तुत। प्रवेश स्वीकृत/अस्वीकृत \_\_\_\_\_

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर  
(संज्ञात्कार के समय)

ह. संयोजक प्रवेश समिति

ह. प्राचार्य

### कार्यालय प्रयोग हेतु

समस्त देय धनराशि रु. \_\_\_\_\_ (रु. शब्दों में \_\_\_\_\_) रसीद सं. \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_ द्वारा प्राप्त की तथा महाविद्यालय पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_ पर प्रविष्टि  
की।

ह. शुल्क जमाकर्ता

संलग्नकों का विवरण :-

(अ) निम्नलिखित की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियाँ -

(जो संलग्न किए हो उसके सामने सही का निशान लगाएँ)

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र <input type="checkbox"/>                 | 2. हाईस्कूल अंक-पत्र <input type="checkbox"/>                      | 3. इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र <input type="checkbox"/>           |
| 4. इण्टरमीडिएट अंक-पत्र <input type="checkbox"/>                 | 5. स्नातक उपाधि <input type="checkbox"/>                           | 6. स्नातक - I अंकपत्र <input type="checkbox"/>                |
| 7. स्नातक - II अंकपत्र <input type="checkbox"/>                  | 8. स्नातक - III अंकपत्र <input type="checkbox"/>                   | 9. अतिरिक्त अंकों हेतु प्रमाण-पत्र <input type="checkbox"/>   |
| 10. आरक्षण श्रेणी हेतु जाति प्रमाण-पत्र <input type="checkbox"/> | 11. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) <input type="checkbox"/> | 12. चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) <input type="checkbox"/> |
- (ब) बी.एड. प्रवेशार्थी निम्नलिखित की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियाँ भी लगाएँ -
- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. प्रवेश परीक्षा की अंकतालिका <input type="checkbox"/>                               | 2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र <input type="checkbox"/> | 3. प्रवजन प्रमाण-पत्र (मूल प्रति) <input type="checkbox"/> |
| 4. शारीरिक दक्षता प्रमाण-पत्र <input type="checkbox"/>                                | 5. प्रवेश हेतु हाथ पत्र <input type="checkbox"/>              | 6. अपना पता लिखे 02 पोस्टकार्ड <input type="checkbox"/>    |
| 7. राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र <input type="checkbox"/> |   |  |
| 8. बैंक ड्राफ्ट (निम्नतालिका में शुल्क का विवरण अंकित करें) <input type="checkbox"/>  |   |  |





ईक प्रति

भारत दर्शन एजुकेशनल आनरबल गवर्नर महाराष्ट्र  
नयाहरीखान (नयाहरी)

क्रमांक १११४



उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक

गुमनाल, (पीथी नयाहरी)

घर नं. खाना संख्या 76002405230

खण्ड 20 -20

शुल्क रसीद

नाम .....

पिता का नाम .....

जन्मतिथि .....

कक्षा .....

विषय - 1. ....

2. ....

3. ....

शुल्क रूपये .....

योग रूपये .....

शुल्क (शब्दों में) रूपये .....

शुल्क दिनांक ..... तक जमा करें।

हस्ताक्षर - संयोजक / सदस्य / शुल्क लिपिक



महाविद्यालय प्रति

भारत दर्शन एजुकेशनल आनरबल गवर्नर महाराष्ट्र  
नयाहरीखान (नयाहरी)

क्रमांक १११४



उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक

गुमनाल, (पीथी नयाहरी)

घर नं. खाना संख्या 76002405230

खण्ड 20 -20

शुल्क रसीद

नाम .....

पिता का नाम .....

जन्मतिथि .....

कक्षा .....

विषय - 1. ....

2. ....

3. ....

शुल्क रूपये .....

योग रूपये .....

शुल्क (शब्दों में) रूपये .....

शुल्क दिनांक ..... तक जमा करें।

हस्ताक्षर - संयोजक / सदस्य / शुल्क लिपिक



भारत प्रति

भारत दर्शन एजुकेशनल आनरबल गवर्नर महाराष्ट्र  
नयाहरीखान (नयाहरी)

क्रमांक १११४



उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक

गुमनाल, (पीथी नयाहरी)

घर नं. खाना संख्या 76002405230

खण्ड 20 -20

शुल्क रसीद

नाम .....

पिता का नाम .....

जन्मतिथि .....

कक्षा .....

विषय - 1. ....

2. ....

3. ....

शुल्क रूपये .....

योग रूपये .....

शुल्क (शब्दों में) रूपये .....

शुल्क दिनांक ..... तक जमा करें।

हस्ताक्षर - संयोजक / सदस्य / शुल्क लिपिक

